



न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उन्नाव।
जमानत प्रार्थना-पत्र सं०-763/2026

मनीष कुमार पुत्र मेवालाल निवासी चौगवां थाना फतेहपुर-84, जनपद उन्नाव।

-----अभियुक्त।

प्रति

सरकार उत्तर प्रदेश द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी, उन्नाव।

-----विपक्षी।

30.03.2026

अभियुक्त मनीष कुमार द्वारा मुकदमा अपराध संख्या-18/2026, धारा-87,137(2)बी0एन0एस0, थाना फतेहपुर-84, जिला उन्नाव में जमानत प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक है कि दिनांक 15.01.2026 समय लगभग 11.00 बजे वादी राम सजीवन की अवयस्क पुत्री/पीड़िता को मनीष पुत्र मेवालाल बहला फुसलाकर भगा ले गया।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र में कथन किया गया कि वह निर्दोष है। उसे रंजिशन झूठा फसाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज करायी गयी है। उसने कोई घटना कारित नहीं की। पीड़िता ने उसके विरुद्ध कोई गंभीर आरोप नहीं लगाये है। वह दिनांक 22.02.. 2026 से जिला कारागार में निरुद्ध है। प्रार्थना पत्र समर्थित शपथ-पत्र में कथन किया गया कि उसका यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। इसके पूर्व कोई भी जमानत प्रार्थना पत्र न तो माननीय उच्च न्यायालय में दिया है और न ही विचाराधीन है और न ही खारिज हुआ है। उक्त आधार पर जमानत प्रदान करने की याचना की गयी।

विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता दाण्डिक तथा अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभियोजन प्रपत्रों का सम्यक अवलोकन किया।

अभियोजन का तर्क है कि अभियुक्त द्वारा वादी की अवयस्क पुत्री को बहला फुसला कर भगा ले जाना बताया गया।

अभियुक्त की ओर से तर्क दिया गया कि उसे रंजिशन झूठा फसाया गया है। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। उसने कोई घटना कारित नहीं की। केस डायरी के अवलोकन से स्पष्ट है कि घटना दिनांक 15.01.2026 के संबंध में वादी द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 17.01.2026 को विलम्ब से दर्ज करायी गयी है, जिसका कोई स्पष्टीकरण अभियोजन की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया है। केस डायरी पर उपलब्ध शैक्षिक अभिलेखों के अनुसार पीड़िता की जन्मतिथि 01.07.2010 होना अंकित है। पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण दिनांक 18.02.2026 को डा०शिवप्रताप सिंह द्वारा किया गया, जिसमें उसके-*No external injury*. अंकित किया गया। दिनांक 19.02.2026 को डा० चन्द्राकुमारी द्वारा पीड़िता आंतरिक परीक्षण किया गया, जिसमें-*Hymen OLD, TORN, HEALED*, एवं *NO ANY INTERNAL INJURY SEEN IN PRIVATE PART AT THE TIME OF EXAMINATION* अंकित किया गया है। जिला चिकित्सालय की आख्या दिनांक 18.02.2026 के अनुसार पीड़िता का *PEGNENCY TEST, Negative* पाया गया। पीड़िता ने अपने बयान धारा-183बी0एन0एस0एस0 में कथन किया कि वह अपनी मर्जी से मनीष के साथ गयी थी। चन्दोसी में मनीष से शादी की, उससे प्यार करती है। मनीष उसे भगाकर नहीं ले गया था। मनीष ने उसके साथ कोई गलत काम नहीं किया। वह मनीष के साथ रहना चाहती है, मम्मी-पापा के साथ नहीं रहना चाहती है। संबंधित थाने द्वारा अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं प्रस्तुत किया गया। अभियुक्त दिनांक 22.02.2026

से जिला कारागार में निरुद्ध है।

अतः मामले के उपरोक्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए गुण-दोष पर टीका-टिप्पणी किये बगैर अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का आधार पाया जाता है। तदनुसार अभियुक्त का जमानत प्रार्थना स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त मनीष कुमार द्वारा अपराध सं०-18/2026, धारा-87,137(2)बी0एन0एस0, थाना फतेहपुर-84, जिला उन्नाव के मामले में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र संख्या-763/2026 स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त के द्वारा मु०-40,000/-रुपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र तथा समान धनराशि की दो जमानतें प्रस्तुत करने पर सम्बन्धित मजिस्ट्रेट की संतुष्टि पर जमानत पर रिहा किया जाए।

दिनांक-30.03.2026
राकेश/-

(महेन्द्र कुमार सिंह)
आई0डी0नं0-यू0पी0-1776
कृते सत्र न्यायाधीश, उन्नाव।